कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांकः 627 /नाजिर/कले0 परि0–कैंटीन–नीलामी/2021 दिनांक03मार्च, 2021

नीलामी सूचना

कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कैंटीन की नीलामी वित्तीय वर्ष 2021–2022 (01.04.2021 से 31.03.2022) तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अनुसार की जानी हैः–

1– नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को रू0– 10000.00 (रूपये दस हजार) मात्र जमानत धनराशि जमा करना होगा। (कैश अथवा बैंक ड्राट के रूप में)

2– नीलामी लेने वाले व्यक्ति को कैंटीन में उपलब्ध सामानों एंव उसकी दर को कैंटीन की नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना होगा। सूची में निर्धारित दर/मूल्य पर खाने–पीने की वस्तुओं की समुचित मात्रा में एंव गुणवत्ता परक उपलब्ध कराना होगा।

3– कैन्टीन के खाने–पीने के सामानों को खाद्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह या सप्ताह में उसके गुणवत्ता की आकस्मिक जाच की जायेगी। गुणवत्ता खराब पाई जाने की स्थिति में (कैंटीन चलाने का) अनुबंध रद्द किया जायेगा।

4– सर्वोच्च बोलीदाता को नीलामी धनराशि का 1/4 भाग तत्काल उसी दिन जमा करना होगा, शेष 3/4 धनराशि दिनांक– 30–06–2021 तक जमा करना होगा। धनराशि न जमा कर पाने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे स्थान वाले बोलीदाता को अवसर दिया जायेगा।

5– कैंटीन चलाने के लिए 27×25=675 वर्ग फुट स्थान उपलब्ध कराया जायेगा जिसमें 18×10=180 वर्ग फुट स्थान रसोई हेतु 9×15=135 वर्ग फुट सामान रखने हेतु तथा 18×15=270 वर्ग फुट ग्राहकों को बैठाने हेतु प्रदान किया जायेगा। इस स्थान पर कोई पक्का निर्माण नहीं किया जायेगा व यह स्थान केवल अनुबंध की अवधि तक ही बोलीदाता को उक्त उद्देश्य अर्थात कैंटीन चलाने के लिए अस्थाई रूप से दिया जायेगा।

6– कैन्टीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं नीलामी लेने वाले व्यक्ति की होगी।

7– कैंटीन चलाने के लिये केवल व्यवसायिक उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का प्रयोग किया जायेगा, घरेलू गैस सिलेंडर का नहीं। इस हेतु वह साक्ष्य के रूप में समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां विहित प्राधिकारी को दिखायेगा या जमा करायेगा।

8– कैंटीन में केवल अनुमोदित खाद्य पदार्थों को ही विक्रय के लिये रखा जायेगा, अन्य नहीं। किसी भी रूप में नशीले व मादक पदार्थों को नहीं रखा जायेगा।

9– कैंटीन चलाने में किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से नीचे के उम्र वाले व्यक्तियों/लड़कों को कार्य में संलग्न नहीं किया जायेगा।

10– कैंटीन व इसका परिसर "धुम्रपान निषेध" स्थल होगा अर्थात न तो कैंटीन कर्मचारी और न ही ग्राहक धुम्रपान करेंगें। यदि इस संबंध में कोई उल्लघंन पाया जाता है तो कैंटीन संचालक सीधे रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

11– कैंटीन में ग्राहकों के बैठने के स्थान पर कम से कम 10 मेज व 50 कुर्सियाँ ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

12– कैंटीन संचालक कैंटीन व उससे सबंधित परिसर में बिजली उपभोग के लिये अलग से एक विद्युत कनेक्शन लेकर मीटर स्थापित करायेगा ताकि विद्युत का प्रयोग वैधानिक रूप से किया जाये।

13– कैंटीन में खाद्य पदार्थों को पकाने व तैयार करने के लिए केवल गैस चूल्हा या माइक्रोवेव का प्रयोग किये जाने की अनुमति होगी, अन्य (लकड़ी, हीटर, मिट्टी का तेल, बुरादा आदि) का नहीं।

14– कैंटीन संचालक व उसके कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे पूर्व में कभी भी अपराधिक गतिविधियों में न तो संलग्न हुये हैं और न ही भविष्य में होंगें।

15– कैंटीन संचालक लेबर एक्ट व अन्य संबंधित नियमों/दिशा निर्देशों/शासनादेशों का कड़ाई से पालन करेगा।

16– कैंटीन प्रातः 06:00 बजे से लेकर सांय 07:00 बजे तक खोली जा सकेगी।

17– ऊपर क्रमांक 01 से 16 में वर्णित शर्तों की उल्लंघन में कैंटीन संचालक व अन्य संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी जिसका परिणाम जमानत राशि व नीलामी राशि जब्त करना, कार्य/सेवा का निरस्तीकरण, कानूनी कार्यवाही आदि हो सकेगी। इसके लिये जिलाधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी विहित प्राधिकारी होंगें।

नीलामी अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।

2/...

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित का सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

02. तहसीलदार, अकबरपुर/टाण्डा/जलालपुर/आलापुर/भीटी, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

03. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अकबरपुर/टाण्डा/जलालपुर/एवं नगर पंचायत, इल्तिफातगंज/किछौछा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

04. जिला सूचनाधिकारी, अम्बेडकरनगर को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को दो स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुये समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

05. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, कलेक्ट्रेट अम्बेडकरनगर को इस आशय से प्रेषित कि इसे http://ambedkar nagar.nic.in पर अविलम्ब प्रकाशित करने का कष्ट करें।

06. नाजिर, कलेक्ट्रेट, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

07. नाजिर, विकास भवन, अम्बेडकरनगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

नीलामी अधिकारी/
अपर जिलाधिकारी
अम्बेडकरनगर।